1

617

श्रीमती बेबी कुमारी, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/2/223 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के दोनों तरफ के तटबंध पर अखाड़ाघाट पुल के उस पार अखाड़ा घाट चौक के चक मोहम्मद, पुनास, अकबरपुर होते हुए समस्तीपुर की सीमा तक के तटबंध तक तथा अखाड़ाघाट पुल के इस पार शहर की तरफ से चंदवारा से दरधा तक बांध पर चौड़ी करण के साथ पक्कीकरण कराए जाने की मांग पिछले 5 वर्षों से प्रश्नकर्ता द्वारा की जा रही है परंतु अभी तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है, यदि हां तो सरकार उपर्युक्त वर्णित अंशों तक बूढ़ी गंडक नदी के दोनों तटबंधों का कबतक चौड़ीकरण कराते हुए पक्की करण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां एवं बंदरा प्रखंड में अखाड़ा घाट चौक से चक मोहम्मद, पुनास, अकबरपुर होते हुए समस्तीपुर की सीमा तक बूढ़ी गंडक नदी पर कि.मी. 0.00 से कि.मी. 43.70 तक बायां तटबंध निर्मित है एवं मुसहरी तथा मुरौल प्रखंड में अखाड़ा घाट चौक से चंदवारा होते हुए दरधा तक बूढ़ी गंडक नदी पर कि.मी. 0.00 से कि.मी. 23.00 तक दायां तटबंध निर्मित है। बूढ़ी गंडक नदी के दायें तटबंध पर कि.मी. 0.00 से कि.मी. 7.20 तक तटबंध प्रभाग का पुनर्स्थापन एवं कालीकरण कार्य कराया गया है, तथा शेष प्रभाग में तटबंध सुरक्षित एवं मोटोरेबल है । केंद्रीय जल आयोग/गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तटबंध शीर्ष पर कालीकरण कार्य/ मानक के अतिरिक्त तटबंध चौड़ीकरण हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। तटबंध पर पक्कीकरण कार्य पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग से कराया जा सकता है। इस हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र दी जा सकती है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(मुज0)–05–26 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 223 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(मुज0)–05–26 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(मुज0)–05–26 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(मुज0)–05–26 / 2026– 1062 पटना, दिनांक– 27/02/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.02.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

26.02.26